न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/5/2025
जीसीएमएस– 2025/74
दायर दिनांक– 10.02.2025
निर्णय दिनांक– 18.11.2025

1. बबलूराम पुत्र गिर्राज जाति कुम्हार निवासी हनीपुर तहसील कठूमर, अलवर।

......अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रेटा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रेटा पंचायत समिति कठूमर, अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.8.2015 विरासत इन्तकाल संख्या 668 ग्राम हनीपुर ग्रा. पं. रेटा कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री सुभाषचन्द कठूमर अधिवक्ता अपीलाण्ट

–::निर्णय::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 121, 127, वाके ग्राम हनीपुर ग्राम पंचायत रेटा तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलन्ट के मृतक दादा दोजी पुत्र जलसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अपीलाण्ट के पिता गिर्राज पुत्र दोजी का देहान्त अपीलाण्ट के दादा दोजी के जीवनकाल में ही हो गया था। जिस कारण मृतक दादा दोजी के विरासत इन्तकाल संख्या 668 वाके ग्राम हनीपुर में पटवारी हल्का बिना अपीलान्ट के नाम की जॉच किय व बिना अपीलाण्ट से दस्तावेज लिये ही गलत रूप से इन्तकाल संख्या 668 वाके ग्राम हनीपुर में अपीलाण्ट का नाम बबलूराम के स्थान पर बबली दर्ज कर दिया है जो कानून गलत उक्त इन्तकाल संख्या 668 दिनांक 20.08.2015 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से बबली का नाम छोड दिया जो कानूनन गलत है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगौ हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 668 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.02.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 668 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 20.8.

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

2015 से दिनांक 03.02.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 668 दिनांक 20.08.2015 वाके हनीपुर ग्राम पंचायत रेटा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 668 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.02.2025 को पटवारी हल्का के पास से नकल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 668 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 18.11.2025 रेस्पोडेण्ट वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

अपीलाण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 668 के बारे में जानकारी दिनांक 03.02.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 668 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलाण्ट के पिता गिर्राज पुत्र दोजी का देहान्त अपीलाण्ट के दादा दोजी के जीवनकाल में ही हो गया था। जिस कारण मृतक दादा दोजी के विरासत इन्तकाल संख्या 668 वाके ग्राम हनीपुर में पटवारी हल्का बिना अपीलान्ट के नाम की जॉच किय व बिना अपीलाण्ट से दस्तावेज लिये ही गलत रूप से इन्तकाल संख्या 668 वाके ग्राम हनीपुर में अपीलाण्ट का नाम बबलूराम के स्थान पर बबली दर्ज कर दिया है जो कानून गलत उक्त इन्तकाल संख्या 668 दिनांक 20.08.2015 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से बबली का नाम छोड दिया जो कानूनन गलत है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 668 दिनांक 20.08.2015 वाके हनीपुर ग्राम पंचायत रेटा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत रेटा द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 668 दिनांक 20.08.2015 वाके ग्राम हनीपुर ग्राम पंचायत रेटा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०